उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ / पंचम तल इन्दिरा भवन ,अशोक मार्ग, लखनऊ –226001

पत्र संख्या– एफएस–1076 / 2014(125) दिनांकः अक्टूबर ,13, 2014

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
(हाई / इंटी..सेल) ,लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड ,गोमती नगर,लखनऊ,

विषयः– मेसर्स ओमेक्स लि0 द्वारा लखनऊ –सुल्तानपुर रोड पर ओमेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–03 पर प्रस्तावित समूह आवासीय भवन (528 फ्लैट)की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विशयक पत्र संख्या–16 / एस.ई / एच.टी.आई.जी.. / 2014,दिनॉक 19.04.2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, / मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ,एवं उपनिदेशक लखनऊ द्वारा किया गया । अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, / मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ / उपनिदेशक लखनऊ की आख्या दिनॉक 08.10.2014 के अनुसार –

भवन की संरचना :–

1–कुल भूखण्ड एरिया 18288.81 वर्ग मीटर ।

2 –प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का ग्राउण्ड कवरेज 4729.440 वर्ग मीटर ।

3 –प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन ब्लाक ए (टी–01 से टी–04) के प्रत्येक टावर के प्रथम तल का कबर्ड एरिया 496.532–496.532 वर्ग मीटर तथा द्वितीय तल से 17वें तल तक प्रत्येक तल का कबर्ड एरिया अलग–अलग 541.880–541.880 वर्ग मीटर तथा ब्लाक बी (टी–01 से टी–04) प्रत्येक टावर के प्रथम तल का कबर्ड एरिया 439.750–439.750 वर्ग मीटर तथा द्वितीय तल से 16वें तल तक प्रत्येक तल का कबर्ड एरिया अलग–अलग 462.560–462.560 वर्ग मीटर व क्लब के भूतल का कबर्ड एरिया 246.38 वर्ग मीटर तथा द्वितीय तल का कबर्ड एरिया 205.08 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

4 –भवन के बेसमेंट का कबर्ड एरिया 14865.08 वर्ग मीटर है ।

5 –भवन की अधिकतम् उचॉई 53.550 मीटर व क्लब की उॅचाई 7.750 मीटर है ।

भवन का अधिभोग ऍव हैजार्ड श्रेणी –प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॅाचागत व्यावस्था :–

1–पहुॅच मार्ग :–प्रश्नगत भवन के मानचित्र में 45 व 24 मीटर रोड की चौडाई अंकित है ।

2–प्रवेश व निकास द्वार की चौडाई :–भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु एक गेट प्रस्तावित है, जिसकी चौडाई 09.0 मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3–सेटबैक :– प्रस्तावित भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है –

- अग्रभाग 15.00 मीटर ।
- पृश्ठभाग 15.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम 15.00 मीटर ।

- पार्श्व भाग द्वितीय 15.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

4–निकास मार्ग :–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02–02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई 1.5–1.5 मीटर तथा क्लब में 2.0 मीटर चौडाई का एक स्टेयरकेश मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण –भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– एन0बी0 सी0 – 2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यावस्थाएं पूर्ण किये जाने अनिवार्य है –

1–भूमिगत टैक :– भूमिगत टैक 150 के.एल. पानी के क्षमता का मानचित्र में प्रस्तावित है ।

2–पम्प :–भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प ,2850 एल0पी0एम0 क्षमता का डीजल चालित पम्प, व 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का स्प्रिंकलर पम्प तथा जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है

3–होजरील :–प्रस्तावित भवन में होजरील ,लैडिंग वाल्ब,आई0एस0–3844 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है । तथा प्रत्येक तल पर लैडिंग वाल्व के पास होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप रखा जाना अनिवार्य होगा ।

4–वेटराइजर :–प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरुप लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में **यार्ड हाइड्रेट** होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :–प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

7–स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम :–प्रश्नगत भवन में आवश्यक नही है ।

8–स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :– सम्पूर्ण भवन में बेसमेंट सहित समस्त तलों में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है । स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग भूमिगत व टैरिस टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा ।

9–टैरिस टैक :–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के टैरिस पर अग्निशमन कार्य हेतु स्थाई टैरिस टैक 25–25 हजार लीटर पानी के क्षमता का तथा क्लब के टेरिस पर 15 हजार लीटर पानी के क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

10–टेरिस पम्प :–क्लब के टैरिस पर 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरिस पम्प मानचित्र में प्रस्तावित है तथा अन्य भवनो में आवश्यक नही है ।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिग्यूसर) :–प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिग्यूसर आई0एस0 2190–2010 के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

12–स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम :–

ए0–फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिगं 2 एच है ।

बी 0–सिस्टम की मैकअप एअर हेतु व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है ।

सी 0– स्मोक रिजरवायर अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्सन सिस्टम का तकनीकी वि लेशण किया गया है,आकस्मिकता के समय एक्सट्रैक्सन सिस्टम की क्षमता एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार होनी चाहिये ।

13 –प्रेशराईजेशन प्रणाली :– आवश्यक नही ।

14 –एक्जिट साइनेज :–सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

15–पी0ए0 सिस्टम :–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

16–प्रश्नगत भवन में **इमरजेंसी/एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0–2005 ,पार्ट–04 में उल्लिखित के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

17– भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिशठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0–2005 , पार्ट–04 के प्रस्तर–**सी–05,सी–07 सी–08,व सी–09** में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

18– भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः ओमेक्स लि0 द्वारा लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर ओमेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–03 पर प्रस्तावित समूह आवासीय भवन (528 फ्लैट) का उपरोक्तानुसार भवन के निमार्ण हेतु प्रोविजनल अग्नि मन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस भार्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन /इकाइयो में अग्नि से सुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान व इस पत्र में अंकित भार्तो को भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इंडिया –2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त ,भवन का प्रयोग करने से पहले प्राविधानित एवं भार्तो के अनुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानक के अनुसार भैतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्नि मन विभाग से कराकर अन्तिम अग्नि मन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नक :01,सेट मानचित्र

13/10

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक
उ0 प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय,

प्रतिलिपि –

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ उपनिदेशक ,लखनऊ, को उनके पत्र संख्या :प–2040/एफ.एस–14 दिनॉक 08. 10.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेशित ।

2 –अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेशित ।

3– मेसर्स,ओमेक्स लिमिटेड ,भवन निर्माणकर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित ।